ऊर्जा की आपूर्ति हेतु आवेदन–पत्र

1. आवेदन कर्ता का नाम ..... बालकेश्वर चौधरी .....

2. पिता/पति का नाम ..... मनराज .....

3. व्यवसाय ..... कृषि .....

4. पता ..... ग्रा.- पिपरहट पो0 तेलियाडीह .....
थाना

(क) पत्राचार हेतु ..... मो0 नं0 7317322979

(ख) जहां कनेक्शन अपेक्षित हो .....

(स्थाल की पहचान के लिए .....

स्थल खण्ड को चिन्हित करें)

5. भूखण्ड का आकार ..... वर्गफुट

आच्छादित (कवर्ड) क्षेत्र ..... वर्ग फुट

6. कुल संयोजित भार ..... 3 HP .....

7. आपूर्ति का उद्देश्य ..... PTW .....

8. प्रक्रिया शुल्क का विवरण .....

(क) धनराशि .....

(ख) ढंग ..... चेक/ड्राफ्ट/कैश : दिनांक .....

1. संख्या ..... दिनांक .....

बैंक का नाम .....

बालकेश्वर

आवेदक के हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

विद्युत सुरक्षा निदेशालय

कार्यपूरक प्रमाण-पत्र

(राज्य सरकार से अनुज्ञापित (लाइसेंस) प्राप्त ठेकेदार द्वारा भरा जायेगा)

उपभोक्ता/स्वामी का नाम : बालकेश्वर यादव

पिता/पति का नाम : मंगरा

पता : ग्राम पिपरहट पो तेलियाडीह

परिसर की अवस्थिति : -वरवी

बोल्टता और प्रदाय की प्रणाली :

(1) बोल्टसा :

(2) कलाओं (फेजी) की संख्या : 2 single

(3) ए0सी0/डी0सी0 : AC

वायरिंग का प्रयोजन- :

वायरिंग का प्रकार (बैइन, कन्ड्यूट इत्यादि) : Conduit

संस्थापना की विशिष्टियाँ :-

	220/230 वोल्ट्स						400/440 वोल्ट्स		उच्च/अति उच्च वोल्टता संस्थापन	
	फेज 1		फेज 2		फेज 3					
	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स	संख्या	कुल वाट्स
I.										
(1) बत्तियों के प्वाइंट										
(2) पंखों के प्वाइंट										
(3) प्लग प्वाइंट										
(4) टिपूब लाइट										
(5) मोटरें/जनरेटर्स	1	3 HP								
(पूर्ण ब्यौरा दिया जाये)										
योग		3 HP								

II. अन्य उपकरण (पूरा ब्यौरा दिया जाय)

(1) PTW

(2)

कुल संयोजित भार किलोवाट म

अधिकतम करेंट मांगे एम्पियर में

(कुल संयोजित भार के आधार पर)

Scanned with CamScanner

का रिसाव (विद्युतरोधी प्रतिरोधी कम से कम एक मैंगाओम होगा अथवा उतना होगा जितना भारतीय मानक संस्थान द्वारा
य-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाय)
केदार द्वारा विद्युतरोधी प्रतिरोधी के परीक्षण का परिणाम-

फेज-1 व अर्थ	फेज-2 व अर्थ	फेज-3 व अर्थ
.....	.....	.....

(1) फेज एवं अर्थ के बीच-

(2) न्यूट्रल एवं अर्थ के बीच-

फेज-1 व 2	फेज-2 व 3	फेज-3 व 1
.....	.....	.....

(3) तारों के मध्य-

नियम-29 (1) बताये कि वायरिंग का कार्य, प्रयुक्त सामग्री तथा उपकरण भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के अनुसार हैं।

(2) बतायें कि प्रत्येक सर्किट अलग-अलग स्विचों द्वारा नियंत्रित है।

(3) बतायें कि समस्त स्विच विद्युमय (जीवन्त) चालकों पर लगाये गये है।

नियम-32 बतायें कि दो तार प्रणाली का अर्थ वायर तथा बहुतार प्रणाली के भूसम्पर्कित न्यूट्स वायर पर स्थायी प्रकृति का सूचक लगाया है जिससे कि ऐसे चालक को विद्युतमय (जीवन्त) चालक से सुभिन्न किया जा सके।

(सत्यान प्रमाण-पत्र)

मैं/हम M/s Bajaj Enterprises लाइसेंस प्राप्त विद्युत ठेकेदार, लाइसेंस संख्या BC-199
निम्न का सत्यापन करते हुए घोषणा करते हैं।

(अ) कि पर्णेक्त विद्युत संस्थापन कार्य मेरे द्वारा किया गया है।

(ब) पूर्णोत्तर अंकित संस्थापन का विद्युतराधी प्रतिरोधी का परीक्षण मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा किया गया है एवं उसका परिक्षण परिणाम मेरे/मेरे सुपरवाइजर द्वारा अंकित किये गये हैं।

(स) संस्थापन कार्य भारतीय विद्युत नियम, 1956 एवं भारतीय मानक संस्थान की व्यवहार संहिता के प्राविधानों के अनुरूप किया गया है।

(द) उपरोक्त कार्य मेरे/हमारे निम्नांकित स्टाफ द्वारा किया गया है।

वायरमैन का नाम Siddarth परमिट सं0 8321 वैधता की तिथि 21/8/19

हस्ताक्षर

पर्यवेक्ष का नाम Md Ayub प्रमाण-पत्र सं0 40592 वैधता की तिथि 15/4/20

हस्ताक्षर

Scanned with CamScanner

M/s BABA ENTERPRIS
835-BARIHWA
MALVIYA ROAD-BASTI

ऑडिस का नाम एवं हस्ताक्षर .....
दिनांक .....

विद्युत ठेकेदार के फर्म का नाम
लाइसेन्स संख्या .....
लाइसेंस श्रेणी .....
वैधता का दिनांक .....

ठेकेदार के हस्ताक्षर

घोषणा
(उपभोक्ता द्वारा की जाय)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद् लाइसेन्सी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम 1956 के प्राविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किया गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता..... ..... एम्पीयर से अधिक नहीं है तथा संस्थापन में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा ओवर लोडिंग राज्य विद्युत परिषद लाइसेंसी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही जायेगी।

दिनांक.....

उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

परीक्षक रिपोर्ट
(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जायेगी)

मैं प्रमाणित करता हूँ कि राज्य विद्युत परिषद लाइसेन्सी द्वारा विद्युत ऊर्जा के प्रदाय हेतु निर्धारित शर्तों एवं भारतीय विद्युत नियम 1956 के प्राविधानों का अनुपालन मेरे द्वारा ठीक प्रकार किय गया है। मुख्य फ्यूज की अधिकतम क्षमता..... एम्पीयर से अधिक नहीं है तथा संस्थापन में किसी प्रकार की बढ़ोत्तरी अथवा ओवर लोडिंग राज्य विद्युत परिषद लाइसेंसी द्वारा अनुज्ञा प्राप्त होने पर ही जायेगी।

दिनांक.....

उपभोक्ता का नाम एवं हस्ताक्षर

परीक्षण रिपोर्ट
(सप्लायर के प्रतिनिधि द्वारा भरी जायेगी)

विद्युतरोधी प्रतिरोधी का परिणाम–

(1) फेज एवं अर्थ के बीच –	फेज–1 व अर्थ	फेज–2 व अर्थ	फेज–3 व अर्थ .....
(2) तार के बीच –	फेज–1 व 2	फेज–2 व 3	फेज–3 व 1 .....

विद्युत संस्थापन में पायी गयी कमियां (यदि कोई हो) एवं कमियों को दूर कराने हेतु कृत कार्यवाही –

1. –
2. –
3. –
4. –

दिनांक.....

प्रदायकर्ता (सप्लायर) के निरीक्षण कर्ता
का नाम एवं हस्ताक्षर
पद नाम

Scanned with CamScanner